

# छत्तीसगढ़ शासन

## श्रम विभाग

दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय

// अधिसूचना //

106

कमांक एफ 11-2/2011/16:-छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (कमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :-


### अनुसूची

स.क्र.	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छ0ग0 लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्रमायुक्त कार्यालय	1. छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के तहत समझौता, ठहराव अवार्ड का पंजीयन	30 कार्य दिवस	पंजीयक	अपर आयुक्त	श्रमायुक्त
	श्रमायुक्त कार्यालय	2. इंदिरा कृषि श्रमिक क्षतिपूर्ति दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पर स्वीकृति का कार्य	45 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	श्रमायुक्त
2.	संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	1. प्राणांतक दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर घटना स्थल की जाँच	07 कार्य दिवस	सहायक संचालक	उप संचालक	संचालक
	संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	2. प्राणांतक दुर्घटना स्थल की जाँच कर प्रतिवेदन देने हेतु	07 कार्य दिवस	सहायक संचालक	उप संचालक	संचालक
	संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	3. गंभीर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर घटना स्थल की जाँच	15 कार्य दिवस	सहायक संचालक	उप संचालक	संचालक
	संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	4. गंभीर दुर्घटना स्थल की जाँच कर प्रतिवेदन देने हेतु	15 कार्य दिवस	सहायक संचालक	उप संचालक	संचालक
	संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	5. शिकायत की जांच कर प्रतिवेदन देने हेतु	90 कार्य दिवस	सहायक संचालक	उप संचालक	संचालक
3.	छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल	1. हितग्राहियों के पंजीयन	45 कार्य दिवस	श्रम निरीक्षक/उप श्रम निरीक्षक	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/ जिन जिलों में श्रम विभाग के कार्यालय स्थापित न हो वहां पर जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी	सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
	छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल	2. भगिनी प्रसूति सहायता योजना	30 कार्य दिवस	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/ जिन जिलों में श्रम विभाग के कार्यालय स्थापित न हो वहां पर जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी	सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल	श्रमायुक्त/मुख्य निरीक्षक, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण नियम, 2008
	छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल	3. राजमाता विजयाराजे सामूहिक विवाह योजना	30 कार्य दिवस	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/जिन जिलों में श्रम विभाग के कार्यालय स्थापित न हो वहां पर जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी	सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल	श्रमायुक्त/मुख्य निरीक्षक, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण नियम, 2008

107/2/

स.क्र	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छ0ग0 लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकार
1	2	3	4	5	6	7
	छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल	4. विश्वकर्मा मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना	30 कार्य दिवस	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/ जिन जिलों में श्रम विभाग के कार्यालय स्थापित न हो वहां पर जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी	सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल	श्रमायुक्त/मुख्य निरीक्षक, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण नियम, 2008
4.	छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल	5. बालिका विवाह सहायता योजना	30 कार्य दिवस	कल्याण आयुक्त	संयुक्त सचिव/उप सचिव	सचिव श्रम
	—	6. मृत्यु सहायता योजना	30 कार्य दिवस	कल्याण आयुक्त	संयुक्त सचिव/उप सचिव	सचिव श्रम
5.	कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें	1. औषधालय स्तर पर परीक्षण एवं उपलब्ध औषधियों का प्रदाय	3 कार्य दिवस	औषधालय स्तर का प्रभारी अधिकारी	बीमा चिकित्सा पदाधिकारी प्रभारी केन्द्र	संचालनालय में पदस्थ वरिष्ठ बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/उप संचालक/ संचालक
	कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें	2. औषधालय स्तर पर बीमित व्यक्तियों के पुनर्भुगतान/ अग्रिम के प्रकरणों का निराकरण	30 कार्य दिवस	औषधालय स्तर का प्रभारी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी	बीमा चिकित्सा पदाधिकारी प्रभारी केन्द्र	संचालनालय में पदस्थ वरिष्ठ बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/उप संचालक/ संचालक
	कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें	3. संचालनालय स्तर पर बीमित व्यक्तियों के पुनर्भुगतान/अग्रिम के प्रकरणों का निराकरण	30 कार्य दिवस	संचालनालय, में पदस्थ कार्यालय अधीक्षक/ वरिष्ठ बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/उप संचालक	संचालनालय में वरिष्ठ बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/उप संचालक	संचालक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,  
तथा आदेशानुसार

  
(के0डी0 कुंजाम)  
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग